इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2013—वैशाख 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2932-137-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१३ विषय-सूची.

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
- २. धारा ६१-क का स्थापन.
- ३. धारा ६१-ख का संशोधन.
- ४. धारा ६१-ग का स्थापन.
- ५. धारा ६१-घ का संशोधन.
- ६. धारा ६१-ङ का स्थापन.
- धारा ६१-ङ क का अन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 24 अप्रैल 2013 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६१-क का स्थापन. २. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६१-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिभाषाएं.

''६१-क इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत में,—
 - (एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित किए गए किसी नगरपालिक निगम की सीमाओं से सोलह किलोमीटर;
 - (दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित की गई किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की सीमाओं से आठ किलोमीटर;
 - (तीन) उपरोक्त (१) तथा (२) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से तीन किलोमीटर;
 - (चार) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४७) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए या घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग या मध्यप्रदेश हाइवे एक्ट, १९३६ (क्रमांक ३४ सन् १९३६) की धारा २ के अधीन अधिसूचित किए गए लोकमार्ग के पार्श्व से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर ग्राम पंचायत में स्थित है:
 - परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १३ के अधीन अधिसूचित किसी निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित कोई क्षेत्र, इस अध्याय के प्रयोजन के लिये ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' समझा जाएगा:
 - (ख) ''कालोनी'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो उक्त क्षेत्र को भू-खण्डों में विभाजित किया जाकर विकसित किया गया हो और उसमें समूह आवास सम्मिलत हैं किन्तु ऐसा क्षेत्र सिम्मिलत नहीं है जो किसी परिवार के सदस्यों के बीच, साधारणतया निवास एककों के प्रयोजन के लिये विभाजित किया गया हो;
 - (ग) ''कालोनाइजर'' से अभिप्रेत है, उन्हें अपवर्जित करते हुए, जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति, सोसाइटी, संस्था या सत्ता जो विक्रय या अन्यथा द्वारा समस्त या कुछ भू-खण्ड या भवन या उनके भाग का अन्तरण करने के

प्रयोजन के लिये इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई कालोनी विकसित करने का कार्य हाथ में लेने का आशय रखता है और जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रिजस्ट्रीकृत है.''.

३. मूल अधिनियम की धारा ६१-ख में, शब्द और कोष्ठक ''उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व)'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''ऐसे सक्षम प्राधिकारी, जिसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए,'' स्थापित किए जाएं.''.

धारा ६१-ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६१-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ६१-ग का स्थापन

''६१-ग (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई कालोनाइजर, जिसे धारा ६१-ख की उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कालोनी विकसित कर सकेगा.

कालोनियों का विकास.

- (२) (क) कालोनाइजर, आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग को, जो कि विहित किए जाएं, विकसित भू-खण्ड या निर्मित निवास एकक उपलब्ध कराएगा.
 - (ख) ऐसे भू-खण्डों या निवास एककों का आकार, संख्या और स्थान विहित किए जा सकेंगे.
- (३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट िकसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उपधारा (२) के खण्ड (ख) में वर्णित भू-खण्डों या निवास एककों के अतिरिक्त या उनके बदले में ऐसा आश्रय शुल्क अधिरोपित, संग्रहीत कर सकेगी और उसका उपयोग कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाए.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ६१-घ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६१-घ का संशोधन.

- ''(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करेगा वह कारावास से, जो तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक का नहीं होगा, और जुर्माने से, जो कम-से-कम दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा. ऐसा अपराध संज्ञेय होगा.''.
- ६. मूल अधिनियम की धारा ६१-ङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ६१-ङ का

''६१-ङ (१) जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के या अवैध संनिर्माण के किसी क्षेत्र में,— अवैध संनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड.

- (एक) भवन के संनिर्माण के लिये अभिन्यास (ले-आउट) या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा; या
- (दो) ऐसा अधिकारी होते हुए जिसका प्राथमिक कर्तव्य ऐसा करना हो, ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन की या किसी भवन के अवैध संनिर्माण की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को करने का जानबुझकर लोप करेगा; या
- (तीन) ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए जो ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के या भवन के अवैध संनिर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायी है, कार्रवाई करने में असफल रहता है; या

(चार) विद्युत् या जल प्रदाय संयोजन (कनेक्शन) मंजूर करने के लिये सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी होते हुए, ऐसे किसी क्षेत्र में के किसी भवन के संबंध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा.

वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु खण्ड (चार) में अंतर्विष्ट कोई बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां कलक्टर राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रमाणित करता है कि अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण के क्षेत्र में भवन के संबंध में विद्युत् या जल प्रदाय का संयोजन देने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है.

(२) जो कोई पूर्वोक्त अधिकारियों पर ऐसी मंजूरी देने के लिये या भूमि के ऐसे अवैध व्यपवर्तन की या अवैध संनिर्माण की रिपोर्ट करने का लोप करने के लिये अवैध रूप से असर डालेगा वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.''.

धारा ६१-ङ क का अन्तःस्थापन.

अवैध कालोनी निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई न करने के लिए दण्ड. ७. मूल अधिनियम की धारा ६१-ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :--

''६१-ङ क. अवैध कालोनी निर्माण की दशा में, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निर्माण का निरीक्षण करने रिपोर्ट देने, रोकने या उसे हटाने के लिये प्राधिकृत किया गया कोई पदधारी, जानबूझकर कार्रवाई करने का लोप करता है या यदि ऐसी कार्रवाई करने के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दिण्डत किया जाएगा.''.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2933-137-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 21 of 2013

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

TABLE OF CONTENTS.

Sections:

- 1. Short title and Commencement.
- Substitution of Section 61-A.
- 3. Amendment of Section 61-B.
- Substitution of Section 61-C.
- 5. Amendment of Section 61-D.
- 6. Substitution of Section 61-E.
- 7. Insertion of Section 61-EA.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 of 2013.

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 24th April, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. For Section 61-A of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 61-A.

- "61-A. For the purposes of this Chapter,—
 - (a) "Gram Panchayat Area" means such area which is situated in the Gram Panchayat within a distance of,—

Definitions

- (i) sixteen kilometers from the limits of a Municipal Corporation constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);
- (ii) eight kilometers from the limits of a Municipal Council or Nagar Parishad constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
- (iii) three kilometers from the limits of an urban area other than those specified in (i) and (ii) above;
- (iv) one kilometer from the side of a National Highway specified in or declared under the National Highway Act, 1956 (XLVII of 1956) or public road notified under Section 2 of the Madhya Pradesh Highway Act, 1936 (XXXIV of 1936):
- Provided that any area situated within the planning area notified under section 13 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973, (No. 23 of 1973) shall be deemed to be a "Gram Panchayat Area" for the purpose of this Chapter;
- (b) "colony" means an area which has been developed by dividing the said area into plots and includes group housing but excludes an area which may have been divided amongst the members of a family, ordinarily for the purpose of constructing dwelling units;
- (c) "colonizer" means any person, society, institution or entity, excluding those that may be so notified by the State Government, who intends to take up the work of developing a colony in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder for the purpose of transfer by sale or otherwise all or some of the plots or the building or part thereof and is registered as a colonizer by the Competent Authority under this Act.".

Amendment of Section 61-B.

3. In Section 61-B of the Principal Act, for the words and bracket "the Sub-Divisional Officer (Revenue)" wherever they occur, the words "such Competent Authority as may be prescribed by State Government" shall be substituted.".

Substitution of Section 61-C.

4. For Section 61-C of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Development of Colonies.

- "61-C. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, any colonizer, who has been issued registration certificate under sub-section (2) of Section 61-B, may develop a colony in the Gram Panchayat area.
- (2) (a) The colonizer shall provide developed plots or constructed dwelling units to the economically weaker section as may be prescribed.
- (b) The size, number and location of such plots or dwelling units may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or dwelling units mentioned in clause (b) of sub-section (2), the State Government may impose, collect and utilize a shelter fee as may be prescribed.".

Amendment of Section 61-D.

- 5. In Section 61-D of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(3) Whoever commits an offence of illegal diversion or illegal colonization shall be punished with imprisonment of not less than three years and not more than seven years, and a minimum fine of ten thousand rupees. Such offence shall be cognizable."

Substitution of Section 61-E.

6. For Section 61-E of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Punishment for abetment of offence of illegal Construction.

- "61-E. (1) Whoever in the area of illegal diversion or illegal colonization or illegal construction,—
 - (i) being an officer having power to sanction layout or map for the construction of a building grants sanction or approves such layout or map; or
 - (ii) being an officer under a primary duty to do so knowingly omits to report illegal diversion of land or illegal construction of a building in such an area to the proper authority; or
 - (iii) being an officer or an employee responsible to take action against the illegal diversion of land or illegal colonization or illegal construction of a building in such an area fails to take action; or
 - (iv) being an officer or the authority competent to sanction electrical or water supply connection grants such sanction with respect to the building in such an area.
 - shall be punished with simple imprisonment which may extend to three years and a fine which may extend to ten thousand rupees:

- Provided that nothing contained in clause (iv) shall apply to the cases where the Collector, with the approval of the State Government, certifies that in public interest there is no objection to provide electrical and water supply connection to the building in the area of illegal diversion or illegal colonization.
- (2) Whoever illegally influences the officers aforesaid in granting such sanction or in omitting to make a report of such illegal diversion of land or illegal construction shall be punished with simple imprisonment which may extend to three years and a fine which may extend to ten thousand rupees."
- 7. After Section 61-E of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 61-EA.

"61-EA. In a case of illegal colonization if an official authorised by the Competent Authority to inspect, report, stop or remove any construction knowingly omits to take action, or if a police officer responsible to provide assistance necessary for such action does not do so, shall be punished with simple imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both."

Punishment for not taking action against illegal colonization.